

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 9.11.12

-: आदेश :-

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि स्व0 श्री मोहन लाल वर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को उनकी एच श्रेणी की पात्रता व सेवा निवृत्ति दिनांक 30.11.2017 के आधार पर पति के नाम आवंटित राजकीय आवास एच-907 गॉंधी नगर जयपुर में निवास करते हुये पति की दिनांक 28.10.1990 को मृत्यु हो जाने पर राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने पर दिनांक 15.12.1991 को कार्यग्रहण करने पर नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियम 17 के तहत दिनांक 15.12.1991 से नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या एच-907 गॉंधीनगर जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- 9 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुरको किराया वसूली बाबत।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक के वेतन से दिनांक 28.10.1990 से 14.12.1991 तक श्री मोहन लाल वर्मा की सेलेरी की अधिकतम रेंज से किराया वसूल करें तथा दिनांक 15.12.1991 से मकान किराया भत्ता बन्द कर रिकवाशी व नियमानुसार किराया कटौती करने की कार्यवाही कर अवगत करावें।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सां0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉंधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गॉंधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी ॥ 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सां0वि0। 10. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव